रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 5 नवम्बर, 1990/ 14 कार्तिक, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 10 अक्तूबर, 1990

संख्या पी० सी० एच०-एच०ए०(5) 24/90.—क्योंकि श्री भवानी सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत घाटु, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश सभा निधि के दुरुपयोग/गबन के निम्न मामलों म संलिप्त लगते ह :—

कि वर्ष 1985-86 के दौरान सुनेरा पुल निर्माण पर विभिन्न मस्ट्रोलों पर मजदूरों को 7,890/- रुपये की अदायगी की दिखाई जबकि वास्तव में केवल 3,730/- रुपये ही दिए गए इस प्रकार 4,160/- रुपये की राशि के दुरुपयोग/गबन के आरोप में उक्त प्रधान संलिप्त लगते हैं। उपके साथ-साथ इस कार्य के लिए सर्वश्री आत्मा राम तथा नेहरू लाल की फर्जी हाजरियां दर्शा कर मु0 700/- रुपये, 700/- रुपये की अदायगी की बताई गई जबकि मजदूरों ने यह कार्य किया ही नहीं ;

2673-राजपत्र/90-5-11-90—1,177. (2151) मूल्य : 1 रुपया।

कि उक्त प्रधान द्वारा प्राथमिक पाठशाला भवन शारशाह के निर्माण हेतु 50 जी0 आई0 शीट्स का प्रयोग किया जबकि विकास खण्ड निरमण्ड द्वारा इस कार्य के प्रयोजन हेतु 58 जी0 आई0 शीट्स दी गई थी । इस प्रकार उक्त प्रधान 8 जी0 आई0 शीट्स के दुरुपयोग के संलिप्त लगत हैं;

उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए मामले में नियमित जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (ना0) आनी को जांच अधिकारी तथा पंचायत निरीक्षक विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को प्रस्तुति अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भेजने की कृपा करेंगे।

शिमला-2, 11 अक्तूबर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 39/89.—क्योंकि श्री टेक चन्द, पंच, ग्राम पंचायत सुधार, तहसील जोगिन्द्र नगर द्वारा यह तथ्य सरकार के सामने लाया गया था कि श्री कली राम, प्रधान, ग्राम पंचायत सुधार जिन्हें रु0 3,500/- रुपये की राशि एस0 एस0 बी0 द्वारा भवन निर्माण हेतु दी गई थी, का उन द्वारा न तो भवन बनाया गया और न ही हिसाब-किताब दिया गया ;

क्योंकि श्री कली राम, प्रधान की प्रारम्भिक छानबीन के आधार पर इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18-4-90 द्वारा उनके पद से निलम्बित करके मामले में नियमित जांच जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी गई थी ;

क्योंकि जांच रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रधान के विरुद्ध लगा आरोप सिद्ध नहीं होता तथा अनुदान की राशि का कोई दुरुपयोग हुआ प्रतीत नहीं होता ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के दृष्टिगत इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18-4-90 को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

शिमला-2, 15 अक्तूबर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0(5) 35/87.—क्योंकि श्री दौलत राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत खादर, विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला को पंचायत की बैठकों में 2-2-87 से अकारण नियमित रूप से भाग न लेने के कारण उन्हें इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-10-88 द्वारा निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था;

क्योंकि श्री दौलत राम उपरोक्त द्वारा दिए गए उत्तर पर खण्ड विकास अधिकारी चौपाल की टिप्पणियां ली गई तथा सरकार द्वारा इस पर भली-भांति विचार के पश्चात् सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि श्री दौलत राम उपरोक्त का उत्तर असंतोषजनक है एवं वह पंचायत की बैठकों से अपनी अनुपस्थिति का कोई औचित्य न दे पाए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उक्त श्री दौलत राम, उप-प्रधान उपरोक्त को जहां उनके पद से निलम्बित करते हैं वहां हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए उन्हें

नोटिस देते हैं कि वह कारण बताएं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस के जारी होने के एक माह के भीतर-भीतर उपायुक्त, शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-2, 15 अक्तूबर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 35/87.—क्योंकि श्री मंगत राम, पंच, ग्राम पंचायत खादर, विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-10-88 को पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग न लेने के कारण निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था;

क्योंकि श्री मंगत राम, पंच ने निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस को प्राप्त करने से इन्कार किया है एवं न ही उसका उत्तर दिया है। यह मान लेना अनुचित न होगा कि उन्हें पंचायत की बैठकों से अपनी अनुपस्थिति के औचित्य में कुछ नहीं कहना है एवं न ही अपने पक्ष में कोई सफाई देनी है एवं यह स्पष्ट है कि वे पंचायत की बैठकों से जानबूझ कर अनुपस्थित रह रहे हैं जो कृत्य पंचायत का कार्य सुचारू ढंग से चलाने में बाधक हो रहा है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के व ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत उक्त श्री मंगन राम, पंच को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर उपायुक्त, शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-2, 15 अक्तूबर, 1990

संख्या0 पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 35/87.—क्योंकि श्री अमर सिंह, पंच को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-10-88 द्वारा 2-2-87 से पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग न लेने के फलस्वरूप निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस किया गया था;

क्योंकि उक्त श्री अमर सिंह, पंच ने पोस्ट आफिस में कार्यरत होने के फलस्वरूप अपना त्यागपत्र जिलाधीश, शिमला को दिया जोकि उन्होंने अपने कार्यालय आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 13/20/88-11-1/88 दिनांक 1-4-89 द्वारा स्वीकृत किया है;

क्योंकि पंच का त्याग-पत्र स्वीकृत किया जा चुका है अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (4) के अन्तर्गत श्री अमर सिंह, पंच, ग्राम पंचायत खादर के विरुद्ध चले मामले को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-2, 15 अक्तूबर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 35/87.—क्योंकि श्रीमती अतरू देवी, पंच, ग्राम पंचायत खादर, विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-10-88 को पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग न लेने के कारण निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था;

क्योंकि श्रीमती अतरू देवी, पंच ने निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस को प्राप्त करने से इन्कार किया एवं न ही उसका उत्तर दिया तथा यह मान लेना अनुचित न होगा कि उन्हें पंचायत की बैठक से अपनी अनुपस्थिति के औचित्य में कुछ नहीं कहना है एवं न ही अपने पक्ष में कोई सफाई देनी है एवं यह स्पष्ट है कि वह पंचायत की बैठकों से जानबूझ कर अनुपस्थित रह रहे हैं जो कृत्य पंचायत का कार्य सुचारू ढंग से चलाने में बाधक हो रहा है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के व ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत उक्त श्रीमती अतरू दवी, पंच को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य क लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर उपायुक्त, शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 15 अक्तूबर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5) 35/87.—क्योंकि श्री छज्जू राम, पंच, ग्राम पंचायत खादर, विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-10-88 को पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग न लेने के कारण निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था ;

क्योंकि श्री छज्जू राम, पंच के निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया है । यह मान लेना अनुचित न होगा कि उन्हें पंचायत की बैठकों से अपनी अनुपस्थिति के औचित्य में कुछ नहीं कहना है एवं न ही अपने पक्ष में कोई सफाई देनी है एवं यह स्पष्ट है कि वह पंचायत की बैठकों मे जानबूझ कर अनुपस्थित रह रहे हैं जो कृत्य पंचायत का कार्य सुचारू ढंग से चलाने में बाधक हो रहा है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 व ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत उक्त श्री छज्जू राम, पंच को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाए । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर उपायुक्त, शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 16 अक्तूबर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5) 81/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(4) के अन्तर्गत श्री दुन्नी चन्द, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत खनोली, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर द्वारा उप-प्रधान पद से त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-5-1990 के अन्तर्गत चलाई जा रही निष्कासन की कार्यवाही को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 22 अक्तूबर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(1) 42/87-लूज.—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर, 1990 के पृष्ठ 8 पर कोष्ठ संख्या 3 के नीचे विकास खण्ड चौहारा के स्थान पर विकास खण्ड रामपुर पढ़ा जाए ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।